

Telecom Regulatory Authority of India

4th, 5th, 6th & 7th Floor, Tower-F,
World Trade Centre, Nauroji Nagar,
New Delhi: 110029

Advertisement Number: - TRAI/HR/DR/TO-2025/01

Dated 15.12.2025

Recruitment of Engineering Graduates as TECHNICAL OFFICER-2025 through GATE 2023/2024/ 2025

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a statutory body established under an Act of Parliament, viz., the TRAI Act, 1997. TRAI was established to regulate Telecommunications Services, protect the interest of service providers and consumers and to promote/ensure orderly growth of the telecom sector. TRAI's key functions include tariff regulation, fostering fair competition, ensuring quality of service, monitoring compliance with license conditions, and encouraging technological advancement. The functions relating to regulation of Broadcasting and Cable Services sectors have also been entrusted to TRAI since 2004. Additionally, TRAI advises the government on policy matters and issues recommendations to enhance the efficiency, accessibility, and affordability of telecom and broadcasting services in India.

TRAI invites applications from bright, young, energetic and ambitious Engineering Graduates to fill six posts of Technical Officers (TO-2025) in level 10 of 7th CPC with Central Dearness Allowance (CDA) on **Direct Recruitment Basis**. Candidates will be shortlisted for Personal Interview on the basis of merit prepared based on their valid score obtained in **Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2023 /2024 /2025**.

1. IMPORTANT DATES:

(Table-I)

Event	Date
Opening Date for On-Line Applications	15.12.2025
Closing Date for On-Line Applications	04.01.2026
Schedule for document verification and Personal Interview	Will be announced on TRAI Website - www.trai.gov.in

2. VACANCIES AND RESERVATION :

(Table-II)

Post Code	Name of Post	Number of Vacancies and Reservation							PwBD Category (Included within the total vacancies)				
		Total	UR	EWS	SC	ST	OBC (NCL)						
								A	B	C	D&E	Total	
1	Technical Officer (Electronics and Communication Engineering)	04	02	0	0	01	01		01				01#
2	Technical Officer (Computer Science and Information Technology)	01	01	0	0	0	0		0				0
3	Technical Officer (Data Science and Artificial Intelligence)	01	01	0	0	0	0		0				0

There will be Horizontal Reservation for PwBD candidates. The post may be filled by interchange among the categories of benchmark disabilities identified for reservation.

The number of vacancies is tentative and may increase or decrease at the sole discretion of TRAI.

Abbreviations used: - UR = Unreserved; EWS = Economically Weaker Section; OBC (NCL) = Other Backward Classes (Non-Creamy Layer); SC = Scheduled Caste; ST = Scheduled Tribe; PwBD = Persons with Benchmark Disability; PwBD Category (A), (B), (C), (D) & (E): Please refer suitable categories of Benchmark Disabilities at Para-3 below.

3. Post identified suitable for Persons with Benchmark Disability (PwBD) category along with Suitable categories of benchmark disabilities and functional requirements:

(Table-III)

Post Code	Name of the Post	Functional Requirements	Suitable categories of Benchmark Disabilities				
			A	B	C	D	E
1	Technical Officer (Electronics and Communication Engineering)	S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C	LV	D, HH	OA, BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV	SLD, MI	MD involving (A) to (D)



Note:

- (i) *Definition of various categories of disabilities identified suitable for the post shall be as defined under Rights of Persons with Disabilities (RPwd) Act 2016.*
- (ii) *PwBD candidates shall also be assessed for suitability in terms of respective Functional Requirements as mentioned against each post before appointment against identified post.*
- (iii) *The eligibility under the category of persons with disabilities is for those persons who are having 40% or more disability.*

Abbreviations used: *S = Sitting; ST = Standing; RW = Reading & Writing; C = Communication; W = Walking; SE = Seeing; MF = Manipulation with Fingers; BN = Bending; H = Hearing.*

PwBD categories: *LV = Low Vision; D = Deaf; HH = Hard of Hearing; OA = One Arm; BA = Both arms; OL = One Leg; BL = Both Legs; CP = Cerebral Palsy; LC = Leprosy Cured; Dw = Dwarfism; AAV = Acid Attack Victims; SLD = Specific Learning Disability; MI = Mental Illness; MD = Multiple Disabilities.*

4. ELIGIBILITY CRITERIA:

4.1 Nationality: Only Indian National are eligible to apply.

4.2 Valid Score in the GATE 2023/2024/ 2025

Candidate should have appeared in the corresponding paper of GATE- 2023/ 2024/ 2025 as shown in the following table and Qualified in the same. The qualifying marks shall be as declared by GATE-2023/ 2024/ 2025 Organizing Body.

(Table-IV)

Post Code	Name of Post	GATE test Paper / GATE Paper Code	Corresponding GATE Year
1	Technical Officer (Electronics and Communication Engineering)	Electronics and Communication Engineering / [GATE paper code- EC]	2023 or 2024 or 2025
2	Technical Officer (Computer Science and Information Technology)	Computer Science and Information Technology / [GATE paper code- CS]	2023 or 2024 or 2025
3	Technical Officer (Data Science and Artificial Intelligence)	Data Science and Artificial Intelligence / [GATE paper code- DA]	2023 or 2024 or 2025

4.3 Upper Age Limit: 30 years as on 31.10.2025



4.4 Essential Qualification:

(Table-V)

Post Code	Name of Post	Essential Qualification	Equivalent acceptable subjects of Essential Qualification Degree
1	Technical Officer (Electronics and Communication Engineering)	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent with minimum 60% marks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electronics & Communication Engg. 2. Electronics Engg. 3. Electronics & Computer Engg. 4. Electronics & Control Engg. 5. Electronics & Communication System Engg. 6. Electronics & Instrumentation Engg. 7. Electronics & Tele-Communication Engg. 8. Electronics & Telematics Engg. 9. Industrial Electronics Engg. 10. Tele Communication Engg. 11. Telecommunication & Information Engg. 12. Applied Electronics & Instrumentation Engg. 13. Electronics & Electrical Communication Engg. 14. Electrical & Communication Engg. 15. Radio Physics & Electronics 16. Electrical & Electronics Engg. 17. Electronics & Communication Engg. (Avionics) 18. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Electronics' as the main discipline



2	Technical Officer (Computer Science and Information Technology)	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Computer Science and Information Technology from a recognized University or equivalent with minimum 60% marks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer Science/ Engg/ Technology 2. Computer Science and Engg/ Technology 3. Computer Science/ Engg & Info Tech 4. Computer Science & System Engg 5. Computer Science & Automation Engg/ Tech 6. Information Technology 7. Computer Science/ Technology & Informatics Engg/ Tech 8. Information Science & Engg/ Technology 9. Computer & Communication Engg 10. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Computer Science' as the main discipline
3	Technical Officer (Data Science and Artificial Intelligence)	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Data Science and Artificial Intelligence from a recognized University or equivalent with minimum 60% marks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer Science & Engineering (CSE) 2. Information Technology (IT) 3. Artificial Intelligence (AI) 4. Artificial Intelligence & machine Learning (AI-ML) 5. Data Science (DS) 6. Machine Learning (ML) 7. Electronics & Communication Engineering with specialization in AI/DS 8. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Data Science or Artificial Intelligence' as the main discipline

4.5 Other Conditions:

4.5.1 Degree or Membership examination should be from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of



Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. Degrees acquired in Open and Distance mode from University Grants Commission recognized universities or All India Council for Technical Education approved courses, wherever applicable, shall also be considered.

- 4.5.2 Candidates having B.E./B. Tech/ B. Sc. (Engg.) Degrees are allowed to apply where essential qualification is prescribed as Bachelor's Degree in Engineering.
- 4.5.3 Candidates who have already acquired the essential qualification on or before **31.10.2025** will only be considered for this recruitment exercise.
- 4.5.4 Candidate must specifically indicate the percentage of marks obtained (calculated to the nearest two decimals) in the relevant column of the application. Where percentage of marks is not awarded by the University but only CGPA/OGPA/DGPA/CPI etc. or letter grade in a degree is awarded, the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard. Candidate will have to produce the equivalence certificate/document issued by the University/Institution evidencing equivalent percentage of marks, when called for document Verification. However, in case a particular Institute does not have any conversion formula for converting CGPA/ CPI into percentage of marks, CGPA/ CPI of 6.5 (for a 10 point scale) will be taken as equivalent to 60% as per Table X.
- 4.5.5 No claim of possession of a qualification equivalent to the prescribed qualification shall be entertained except those mentioned in Table-V. TRAI reserves the right to take a final decision in considering an Engineering discipline as eligible in case different from those mentioned above.
- 4.5.6 Candidates having equivalent degree from foreign universities should obtain equivalence certificate from 'Association of Indian Universities, Delhi' and submit the same with application form.
- 4.5.7 In case of Integrated Master's Degree in Engineering, candidate will have to produce a certificate at the time of document Verification in support of possession of Bachelor's Degree and statement of marks issued by the University/Institution, wherever applicable for the post.

4.5.8 Candidates can apply for multiple number of posts subject to the condition that they fulfil all other eligibility criteria for the post and deposit the fee separately for each post as applicable.

4.5.9 Where the posts specified in this advertisement are not reserved for a category(ies), a reserved category candidate can also apply provided she/ he fulfills the criteria specified for Unreserved Category. She/ He shall be treated at par with unreserved category candidates in selection process for such posts.

5. RELAXATION IN AGE LIMIT:

5.1 AGE LIMIT: Maximum age 30 years as on : **31.10.2025.**

However, the relaxation in upper age limit as applicable is detailed in Table-VI below in respect of posts which are reserved for SC/ ST/ OBC(NCL) category candidates.

(Table-VI)

Category	Upper Age Limit (years)	Born on or after
General (UR)	30	01.11.1995
OBC (NCL) (Relaxation - 3 years)	33	01.11.1992
SC/ST (Relaxation - 5 years)	35	01.11.1990
Persons with Benchmark Disabilities (degree of disability 40% and above) (Relaxation – 10 years)		
i PwBD-General Category	40	01.11.1985
ii PwBD – OBC (NCL) Category	43	01.11.1982
iii PwBD-SC/ST Category	45	01.11.1980
Ex-servicemen and commissioned officers including Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers (Relaxation – 5 years)	35	01.11.1990

5.2 The above relaxation in Upper Age Limit is applicable only in respect of posts which are reserved for SC/ST/OBC(NCL) Categories. SC/ST/OBC(NCL) candidates applying against unreserved posts shall be considered under general standard of merit and no relaxation in Upper Age Limit is applicable. However, relaxation in Upper Age Limit shall be applicable for PwBD Candidates irrespective of the fact whether the post is reserved or not, provided the post is identified suitable for PwBDs. Relaxation and concessions for PwBD category candidates will be in accordance with the Government of India directives in this regard.

5.3 The Ex-serviceman and Commissioned Officers including Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers who have rendered at least five years military services and have been released :

5.3.1 On completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency;

OR

5.3.2 On account of physical disability attributable to military service or on invalidment,

Shall be allowed maximum relaxation of five years in the upper age limit.

5.4 Maximum upper age of the applicants shall not exceed 56 years including all possible age relaxations.

5.5 The date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination certificates will only be accepted. No subsequent requests for change in date of birth will be entertained.

6. Relaxations and Concessions:

6.1 Reservation/ relaxation/ concession to OBC (NCL)/ SC/ ST/ PwBD/ Ex-Serviceman shall be as per Government of India directives.

6.2 Relaxation in Marks in essential qualification for SC/ ST/ PwBD candidates:

Relaxation of 5% in minimum percentage of marks in essential qualification will be provided in respect of SC, ST and PwBD category. However, the above relaxation in minimum qualifying percentage of marks in education qualification is applicable only in respect of posts which are reserved for SC/ST/PwBD Categories. SC/ST/PwBD candidates applying against unreserved posts shall be considered under general standard of merit and no relaxation in Minimum Percentage of marks in Educational Qualification shall be available to them.

Further, no rounding off in marks to the next higher digit will be allowed for calculation of percentage of marks secured in Bachelor degree/ Master Degree etc. e.g 59.99% will not be considered as 60%.



6.3 **Reservation/ Relaxation/ Concession (for the posts reserved for respective category) will be subject to :**

(Table-VII)

(a)	For SC/ST	Submission of relevant Caste Certificate in the prescribed Government of India format issued by the Competent Authority on or before last date of submission of application .
(b)	For OBC (NCL)	<p>Submission of a copy of the latest OBC (NCL) certificate in the format prescribed by the Govt. of India for "Appointment to posts under Govt. of India" from a competent authority at the time of application and interview, if called for.</p> <p>The OBC candidates applying for the post must produce a valid OBC (NCL) Certificate issued during the Financial Year 2025-26 (i.e. issued on or after 01.04.2025) in the format for appointment to posts under the Government of India, issued by the Competent Authority, in support of their belonging to OBC Community in the Central list of OBC and to prove that they do not belong to "Creamy Layer" of the OBCs. A declaration shall also be submitted by the candidate before his/her appointment that he/she does not belong to the Creamy Layer of OBC.</p> <p>Candidates are advised to apply and obtain the aforesaid OBC (NCL) Certificate issued during financial year 2025-26 (i.e. issued on or after 01.04.2025) well in time to be eligible for reservation benefit under this advertisement. The candidates who fail to produce the prescribed OBC (NCL) certificate at the time of document Verification, will not be considered under respective category.</p> <p>OBC (Non-Creamy Layer) certificate issued for appointment to posts under the State Government (i.e., belonging to state list of OBC) OR for admission to educational purposes will not be considered.</p>
(c)	For Ex-Serviceman	Submission of relevant Discharge certificate etc. in the prescribed format issued by Competent Authority.

(d)	For PwD/ PwBD	<p>Submission of disability certificate in prescribed format issued by the Government Medical Board. Candidates applying against vacancies reserved for PwBD category should note that they have to submit valid Disability Certificate issued by the Competent Authority as per Government guidelines (<i>on or before last date of submission of application</i>). PwBD candidates shall also be assessed for suitability in terms of respective Functional Requirements as mentioned against each post before appointment against identified post.</p>
-----	----------------------	---

6.4 **All the certificates issued by the Competent Authority should either be in Hindi or English.** For certificates issued in any language other than Hindi/English, translated copy of the same duly attested by Notary is to be submitted.

6.5 SC/ST/PwBD/Ex-Serviceman candidates are exempted from payment of application fee.

7. EMOLUMENTS:

7.1 Selected Candidates on their appointment in TRAI shall draw salary in the pay scale as indicated in Table-VIII below:

(Table-VIII)

Grade	Pay Level in the Pay Matrix	Initial Basic Pay in the Pay Matrix	Dearness Allowance (DA) [#]
Technical Officer (TO)	Level 10 of 7 th CPC	Rs.56,100/-	58% of Pay in Pay Matrix (as on 01.07.2025)

#DA is based on the rates notified by Government of India from time to time.

7.2 In addition to the above emoluments, following allowances/facilities are available as per extant rules applicable in TRAI:

7.2.1 Allowances:

- Transport Allowance (TA)
- House Rent Allowance (HRA)



7.2.2 Employee Benefits & Miscellaneous Facilities:

- 14% of (Basic Pay+DA) as Employers contribution towards NPS
- Leave Travel Allowance (LTA)
- 10 Days Leave Encashment at the time of availing LTA
- Medical Facility for Self & Dependents (CSMA/CGHS Rates)
- Children Education Assistance
- Reimbursement of News Paper Charges
- Reimbursement of Telephone Facility

7.2.3 Retirement Benefits/Social Security Schemes:

- Pension under NPS
- Gratuity
- Leave encashment (*upto 300 days max*)
- Post-Retirement Medical facility
- Payment of Ex-gratia to Families of Employees who die while in service and missing employees

7.3 No protection of pay will be admissible to candidates already employed in Govt./ Public Sector Undertaking etc. upon joining in TRAI.

8. SERVICE CONDITIONS:

- 8.1 The service conditions will be applicable as per the prevalent rules and regulations of TRAI amended from time to time.
- 8.2 Selected candidates on appointment are liable to be posted initially in TRAI Headquarter, New Delhi.

9. SCREENING/ SHORTLISTING:

- 9.1 Candidates having valid GATE 2023 / GATE 2024 / GATE 2025 score shall only be eligible for this recruitment exercise in TRAI under this advertisement. GATE score of 2022 or of previous GATE examinations shall not be accepted.
- 9.2 Equal weightage will be given to GATE 2023, GATE 2024 and GATE 2025 scores.

- 9.3 Shortlisting of candidates for the posts of Technical Officer (TO-2025) will be done in the order of merit drawn on the basis of valid GATE 2023 / GATE 2024 / GATE 2025 score. If there are more than 01 candidate with the same cut off mark (while short listing for interview), then all the candidates with the same marks will be shortlisted for interview.
- 9.4 Eligible candidates will be shortlisted for interview on the basis of GATE score in the ratio of 1:8 subject to their availability in order of discipline wise category-wise merit list.
- 9.5 'Persons with Benchmark Disabilities'(PwBDs), will be shortlisted separately by applying 1:8 ratio.
- 9.6 The shortlisted candidates will be called for Personal Interview.

10. VERIFICATION OF GATE SCORES:

- 10.1 On the day of interview, candidates may require to validate their GATE scores by logging into the GATE Results portal themselves using their GATE login credentials, for showing their GATE results on-screen.
- 10.2 Candidates are therefore advised to keep their GATE login credentials (enrolment number, registration ID, GATE login password) ready so that there is no difficulty in validating their GATE results.
- 10.3 On verification, if it is found that the candidate's GATE score (as filled by him/her) is false, then he/she will be disallowed to appear in personal interview. TRAI reserves the right to initiate appropriate proceedings (including proceedings under Bharatiya Nyaya Sanhita Act, 2023) against the candidate in such cases.

11. SELECTION PROCESS:

- 11.1 Only those candidates eligible in all respects and have qualified relevant test papers in GATE 2023 or GATE 2024 or GATE 2025 and have registered their applications on the portal of TRAI shall be considered for further selection process in TRAI.
- 11.2 Based on their GATE score, candidates shall be shortlisted for document Verification on the basis of discipline wise category wise merit list.

11.3 Application Reference number of the candidates shortlisted for Personal Interview will be posted on TRAI website (www.trai.gov.in) only. Call Letters of the shortlisted candidates will be sent to their registered e-mail IDs. Candidates will have to regularly visit TRAI Website (www.trai.gov.in) for link and check their registered E-mail IDs (all folders including spam) for downloading their call letter.

11.4 On the day of Interview, during document Verification, the candidates will have to produce his/her Original Certificates along with a proof of identity and submit one set of self-attested photocopies of all the Certificates. If the identity of the candidate is in doubt or he/she is not able to produce the requisite documents or there is mismatch of information in the documents, his/her candidature will be rejected. No additional time will be given for producing original documents.

11.5 In case a candidate does not appear for document Verification along with original documents, he/she shall not be eligible for provisional selection, and his/her candidature shall be rejected.

11.6 Upon completion of document Verification, candidates found eligible shall be shortlisted for Personal interview in order of merit, based on their valid GATE Score, subject to fulfillment of all other eligibility criteria prescribed for the post.

11.7 The final selection of the candidates will be purely **on the basis of discipline wise category wise merit** of aggregate of 80% weightage of marks of GATE score and 20% weightage of marks in Personal Interview subject to medical fitness.

(Table-IX)

Parameter	Weightage (%) of Marks
GATE-2025 / GATE-2024 / GATE-2023 score	80
Personal Interview	20

11.8 Resolution of TIE cases:

In case of a tie in the total marks (GATE Score weightage marks + Personal Interview marks) scored between two or more candidates, following criteria will be adopted in order of sequence for deciding position in merit list:



- 11.8.1 The candidate having higher score in the relevant GATE examination i.e. GATE 2023 or GATE 2024 or GATE 2025 will be Ranked higher.
- 11.8.2 Where GATE scores are tied, candidates older in age shall be placed higher in the merit list.
- 11.8.3 Where both GATE score and date of birth are tied, candidates with higher marks in qualifying degree shall be placed higher in the merit list.
- 11.9 A separate Merit list based on interview marks & GATE score will be prepared for PwBD candidates. Selection in this category will be made in order of merit.
- 11.10 A candidate belonging to reserved category, selected on the basis of norms as applicable to Unreserved Category, will be treated at par with an Unreserved Category candidate. Such own merit candidates belonging to reserved categories who are provisionally selected under Unreserved category will not be adjusted against a reserved vacancy. However, their original category as registered in the online registration will remain unchanged.
- 11.11 Selection of candidates shall be provisional, subject to verification of authenticity of documents relating to eligibility criteria, Character and Antecedents/Background Check, Caste Certificate/Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) Certificate/ SC Certificate/ ST Certificate/Disability Certificate and other documents submitted by the candidate and is also subject to his/her meeting the requisite medical standards for the post and other requirements, as applicable for appointments under the rules of TRAI.
- 11.12 Upon receipt of the Offer of Appointment, selected candidates must confirm their acceptance via email within the stipulated time frame, decided by TRAI.
- 11.13 The selection process as described above is tentative and may vary depending on the administrative requirements of TRAI.
- 11.14 Candidates already working in Central Government/State Government/Autonomous Body/Public Sector Undertaking are required



to produce "No Objection Certificate" in original from the present employer at the time of document Verification, failing which his/her candidature will not be considered. Other documents such as undertaking to resign in the event of selection, acknowledged copy of application for NOC / resignation letter, experience certificate etc. shall not be considered in place of NOC.

- 11.15 After joining, the selected candidates shall undergo induction training of appropriate duration, as may be prescribed by TRAI, to familiarize them with the organizational structure, functions, technologies related to Telecom and Broadcasting sectors etc. and regulatory framework of the Authority.
- 11.16 Candidates appointed shall be on probation for a period of two years and shall be confirmed only if they have completed the period of probation and their services and conduct have been found by the Authority to be satisfactory.

12. INTERVIEW SCHEDULE & VENUE:

- 12.1 The venue for personal interviews will be TRAI Headquarters, New Delhi only.
- 12.2 However, TRAI reserves the right to allocate the Date and Venue of the interview as it deems fit. This will be duly communicated to the shortlisted candidates through Email, and no request for change in this regard will be entertained. Call letter for appearing for interview will be made available for shortlisted candidates in the website for downloading.
- 12.3 Travelling Allowance (TA) will be paid for appearing in the personal interview at TRAI HQ, New Delhi (*For details, please refer Para 15*).
- 12.4 Candidates appearing for the personal interview will have the option to answer questions in either English or Hindi.

13. VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS AT THE TIME OF INTERVIEW :

The following original documents will be verified at the time of interview. **Non production of original documents will debar the candidate from appearing for the interview.**

13.1 Date of Birth (DoB) proof:

13.1.1 Matriculation/ Secondary Examination Certificate indicating Date of Birth

13.2 Qualification:

13.2.1 Mark sheets indicating date of declaration of result.

13.2.2 Final Degree Certificate

13.2.3 Provisional passing Certificate (in case Final Degree Certificate is not issued).

13.2.4 Applicants, who have been awarded CGPA/GPA/SGPA or letter grades, should follow the conversion table of the Institute/College/University from wherever they have passed. Applicants called for interview will be required to produce the authenticated conversion table from the Institute/College/University. As regards, conversion of CGPA grading; if it is not provided by the respective University / Institute and formula to convert CGPA into %age is not available, following standards will be followed:-

(Table-X)

%age of marks in qualifying examination	Equivalent CGPA/ CPI on 10 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 9 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 8 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 7 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 6 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 5 Point scale	Equivalent CGPA/ CPI on 4 Point scale
55%	5.9	4.9	4.4	3.8	3.3	2.7	2.0
60%	6.5	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	2.2
65%	7.0	6.0	5.3	4.6	4.0	3.3	2.5

13.2.5 GATE 2023/GATE 2024/GATE 2025 Admit Card and Score Card.

13.3 Applicants working in Central/State Government/PSUs/Aided Institutions/Autonomous Bodies should bring "No Objection Certificate" from the organization.

13.4 Applicants are required to furnish a Gazette Notification in respect of change of name, if applicable.



13.5 Certificate of being Ex-Serviceman (if applicable).

13.6 Caste/Category Certificates:

13.6.1 SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) candidates must produce caste/category certificate, as per the format prescribed by the Government of India.

13.6.2 The OBC applicants have to indicate their status as "Creamy Layer" or "Non Creamy Layer" as the case may be while filling online application. The applicants who belong to "Creamy Layer" are not entitled for any relaxations & concessions admissible to OBC Category (Non Creamy Layer). The OBC (Non Creamy Layer) applicants are required to submit requisite certificate in prescribed format of Government of India, from a competent authority issued on or after 01/04/2025. The Ministry of Social Justice and Empowerment has notified the lists of such Caste/Communities which are treated as "Other Backward Classes (OBC)" (also called Central OBC List). The same is also available on the website of the National Commission for Backward Classes (NCBC). Only candidates belonging to such notified communities/castes (Central List) and belonging to "Non-Creamy Layer" will be considered for the purpose of relaxation and concessions applicable to OBC (NCL).

13.6.3 PwBD candidates are required to submit Disability Certificate issued by an authority as prescribed in the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

13.6.4 If the SC/ST/OBC/PwBD certificate has been issued in a language other than English/Hindi, then the candidates will be required to submit a translated copy of the same duly attested by Notary in either English or Hindi.

13.7 The shortlisted applicants appearing for the interview should invariably carry with them the following at the time of reporting for personal interview:

13.7.1 Photo identity proof of PAN Card/Driving License/AADHAR Card/Voter ID/College ID/Government issued ID to secure entry for interview.

13.7.2 One clear printout of the Interview Call Letter bearing photograph of the candidate.

13.7.3 One clear printout of the full online application form.



13.7.4 One set containing self-attested copies of the certificates in support of educational qualification (both degree certificate and mark sheets), experience (if any), caste/category, proof for date of birth etc.

13.7.5 Originals of all the above mentioned documents.

14. TRAVELLING ALLOWANCE(TA) FOR APPEARING FOR INTERVIEW :

Outstation applicants appearing for interview will be paid Travelling Allowance to and fro by 3rd AC Train [AC-III-Tier train fare of normal train (including reservation & Superfast Express charges). However, catering charges, dynamic fare, Agent charges, Trip Confirmation Charges & Travel premium not applicable] by shortest route from the Railway Station nearest to the correspondence address indicated in the online application or actual fare incurred by her/him, whichever is less, subject to production of atleast one side of original journey ticket and boarding pass (if applicable). For any other mode of travel (Where a candidate has spent more than entitled fare i.e. fare as detailed above), the reimbursement will be restricted to entitled fare on production of atleast one side of original journey tickets and boarding pass (if applicable). The amount towards reimbursement of TA will be remitted into the bank account of the candidates electronically. Accordingly, candidates called for interview will be required to submit their bank account detail.

15. PREPARATION AND OPERATION OF WAITLIST PANEL:

- 15.1 The Waitlist Panel will be limited to thrice the number of vacancies for which recruitment is being conducted.
- 15.2 The Waitlist will be operated discipline wise and category wise, in order of merit. There will be separate waiting list for PwBD candidates.
- 15.3 The waitlist panel shall remain valid for a period not exceeding twelve (12) months from the date of its approval by the Appointing Authority or until the next recruitment notification is issued for the same post, whichever is earlier.



16. HOW TO APPLY :

- 16.1 Candidates are advised to carefully read the important instructions given in the vacancy circular before filling in the online application. Furnishing of wrong/false information will lead to disqualification and TRAI will not be responsible for any consequence of furnishing of such wrong/false information. In case of filling up of invalid information/ incomplete application/application without application fee, the application will be summarily rejected.
- 16.2 Before applying for the post, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in the Advertisement and possesses the eligibility related documents as per the requirements mentioned in this advertisement.
- 16.3 He/she may cross check the information, such as Date of Birth, Category, Sub-Category [SC/ST/OBC(NCL)/ PwBD], Gender, Email ID, Mobile Number etc. furnished in the application form before finally submitting the same as no correction would be possible and will not be allowed later under any circumstances.
- 16.4 Candidates are required to apply On-line through the link available on www.trai.gov.in under tab "CAREERS". No other means/mode of submission of applications will be accepted under any circumstances.
[Link: <https://vacancies.trai.gov.in>]

16.5 Steps to Apply:

- 16.5.1 **Step 1:** Register on the portal with a valid email ID and mobile number. Once registered, these details cannot be changed. Communications with the candidates shall be made on their registered email ID/ mobile number.
- 16.5.2 **Step 2:** Upload scanned copies of recent passport-size photograph (not more than 03 months old) and signature as per the specifications mentioned in the application form. Three copies of the same photograph should be retained for use at the time of document Verification. Candidates are advised not to change their appearance till the recruitment process is complete.

16.5.3 **Step 3:** Log in and fill in the online form with All relevant documents/details relating to eligibility criteria viz. Educational Qualification, GATE Score Card, Caste Certificate (ST/SC/OBC (NCL) Certificate/Disability Certificate etc .

16.5.4 **Step 4:** Pay the application fee online through debit/credit card, net-banking, or UPI (if applicable).

16.5.5 **Step 5:** Submit the application form and retain a printed copy for future reference.

NOTE: Applicants are advised to keep their email ID and mobile number active until the recruitment process is completed. Request for change of e-mail ID and mobile number will not be entertained. All correspondence regarding this recruitment shall be made on the registered E-mail ID/TRAI website, including intimation to download call letter for document Verification, if shortlisted and offer letter, if selected.

16.6 Before starting to fill up the on-line application, the candidates should keep at hand the following details/documents/information: -

16.6.1 All relevant documents/details relating to eligibility criteria viz. Educational Qualification, GATE Score Card, Caste Certificate (ST/SC/OBC (NCL)/ Disability Certificate etc.

16.6.2 Scanned copy of latest passport size colored photograph (not more than 03 months old) and scanned signature (as per details given below) for uploading in the application.

16.6.3 Details/documents to make online Payment of the requisite application fee.

16.6.4 Any other details/documents required relating to eligibility criteria.

16.7 Candidates should enter their Name, Father's Name and Date of Birth as recorded in the Matriculation certificate only. In case of subsequent change in Name, candidates should indicate their changed Name only in the Online Application. However, other details should match with the Matriculation Certificate. Gazette Notification or any other legal document as applicable should be submitted at the time of document Verification.

16.8 Candidate must mention his/ her correct GATE registration number as appearing in GATE Admit Card for the respective year (2023/2024/2025).

16.9 Candidates are advised in their own interest to apply online much before the closing date of application mentioned in this Advertisement and not to wait till the last date to avoid the possibility of heavy load on internet/website jam/disconnection. TRAI does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of the TRAI.

16.10 Candidates are not required to submit any document or their online application form **either by post or through email**.

16.11 Candidates are advised not to respond to unscrupulous advertisements appearing in any newspaper/websites/mobile apps etc. For authenticity of any information, candidates may visit detailed advertisement available on TRAI website www.trai.gov.in only.

17. INSTRUCTIONS REGARDING SCANNING OF PHOTOGRAPH AND SIGNATURE :

Uploading of scanned image of his/her photograph and signature should be as per the specifications given below:

17.1 Photograph Image:

- Please upload one recent passport size photograph with white background (not more than 3 months old).
- Photograph in cap/hat/dark glasses will not be acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover the face.
- Image should be .jpg or .jpeg format.
- For size and dimensions of image, please follow the instructions given in application form.

17.2 Signature image:

- The applicant has to sign on white paper with Black or Blue ink pen.



- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- Please scan the signature area only and not the entire page.
- Please upload your recent signature in .jpg or .jpeg format.
- For size and dimensions of image, please follow the instructions given in application form.

18. PAYMENT OF APPLICATION FEE (IF FEE IS APPLICABLE):

- 18.1 The candidates belonging to General/ OBC categories are required to make a non-refundable payment of Rs.100/- (Rs. One Hundred only) towards application fee with the applicable bank charges. **The application fee can be paid on any day between 15.12.2025 to 04.01.2026 (till 23:00 hrs.) only.**
- 18.2 **SC, ST, PwBD and Ex-serviceman applicants are exempted from the payment of Application Fee.**
- 18.3 Candidates are required to make application fee payment through debit card/credit card/net-banking/UPI etc. online through payment gateway integrated with the application form.
- 18.4 After submitting your payment fee online, PLEASE WAIT FOR THE INTIMATION FROM THE SERVER. DO NOT PRESS BACK OR REFRESH BUTTON IN ORDER TO AVOID DOUBLE CHARGE. On completion of the transaction, candidates are advised to check the status of the payment before final submission of online application form. In case of payment failure, candidates are advised to repeat the process of payment to avoid rejection of the application.
- 18.5 Once the payment of application fee is successfully completed, '**Application Form**' will be generated. Then the applicant can view/print the online application form.
- 18.6 No other mode of payment will be accepted. The candidature of applicants submitting fee of lesser amount or depositing fee through any other mode other than the prescribed method, will be rejected. The application fee paid by ineligible candidates shall be forfeited and no correspondence shall be entertained in this regard. Application fee once



paid will not be refunded under any circumstances. Candidates are therefore requested to verify their eligibility before making payment of application fee.

- 18.7 Application Status can be seen by the candidate by login through link <https://vacancies.trai.gov.in>.
- 18.8 Candidate is requested to make a note of the login id and password, as she/he will need this to login to the website to check her/his application status. An email will also be sent to the candidate with the application number.

19. ACTION AGAINST MISCONDUCT :

- 19.1 Candidates are advised to furnish correct information and should not provide any documents/information that are false, tampered, fabricated or should not suppress any material information while filling up the "on-line" application.
- 19.2 At any stage of recruitment or later, if a candidate is or has been found guilty of any misconduct such as:
 - 19.2.1 Using unfair means or obtaining support for his/her candidature by unfair means; or
 - 19.2.2 Impersonating or procuring impersonation by any person; or
 - 19.2.3 Resorting to any irregular means in connection with his/her candidature during selection process; or
 - 19.2.4 Canvassing in any form/using undue influence for his/her candidature by any means; or
 - 19.2.5 Submitting false certificates/documents /information or concealment/suppression of factual information at any stage;
 - 19.2.6 Giving wrong information regarding his/her category (SC/ST/OBC(NCL)/PwBD) while applying for the post or thereafter;

his/her candidature will be summarily rejected/cancelled at any stage of recruitment process /will be terminated from service (if already

appointed), apart from initiating any other action or taking legal recourse as deemed fit.

20. GENERAL INSTRUCTIONS :

- 20.1 Before submitting the application, the candidate should ensure that he/she fulfils all the eligibility and other norms mentioned in this advertisement.
- 20.2 All correspondence regarding this recruitment shall be made on the registered email ID. The candidates are requested to check regularly their e-mail/TRAI's website for any communication from TRAI.
- 20.3 A temporary correspondence address should not be mentioned as permanent address to avoid any loss in receiving communication at any stage.
- 20.4 All details entered in the online application form will be treated as final, and no changes will be entertained after submission.
- 20.5 It may please be noted that submission of online application under factious/ pseudo names/ email ids is strictly prohibited. Any candidate engaging in such practices will be subject to legal action under the provisions of the Information Technology Act, 2000.
- 20.6 The decision of TRAI Authority regarding the eligibility criteria, acceptance or rejection of applications, mode of selection to the post etc. shall be final and irrevocable. Mere fulfilling of the minimum qualification and other eligibility criteria will not vest any right on candidates for being called for document Verification.
- 20.7 No correspondence will be entertained from the candidates found to be ineligible and not called for document Verification or for non-selection.
- 20.8 TRAI will not bear any liability on account of Salary/ leave salary/ pension contribution etc., if any, of previous employment of any candidate already working in Central Government/ State Government/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.



20.9 Information on TRAI website only:

20.9.1 All correspondence with candidates shall be done through e-mail and all general information/subsequent changes if any, made in the recruitment advertisement shall be provided through TRAI website www.trai.gov.in only. Responsibility of receiving, downloading and printing of call letter for document Verification/offer of appointment/any other information shall be of the candidate. TRAI will not be responsible for any loss of email sent, due to invalid/wrong email ID provided by the candidate or for delay/non-receipt of information if a candidate fails to access his/her mail/website in time. Hence, the candidates are advised to visit their email account (all folders including spam)/TRAI website regularly for further updates.

20.9.2 In case of any process violation by the candidate or if any information provided by the candidate is found false or is not found in conformity with the eligibility criteria mentioned in this advertisement, candidature of such registered candidates is liable to be rejected at any stage of recruitment process or even after recruitment/joining. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect.

20.10 Court of jurisdiction for any dispute will be in Delhi.

20.11 No query seeking advice on eligibility will be entertained.

20.12 The decision of TRAI in respect to all matters pertaining to this recruitment would be final and irrevocable on all candidates.

20.13 TRAI reserves the right to modify/alter/restrict/enlarge/cancel the recruitment process, if need arises, without issuing any further notice or assigning any reasons thereafter. The decision of the TRAI Authority will be final, and no appeal will be entertained in this regard.

20.14 No separate communication will be issued regarding results except to the selected candidates.

21. IMPORTANT CONTACT DETAILS:

For any other queries related to this advertisement, please contact on 011-26769631 or email at sro-hr@trai.gov.in.



SRO (HR)
TRAI HQ, New Delhi
Tel No- 011-26769631

In case of any dispute in the advertisement, English version of the detailed advertisement available in TRAI's website will be treated as valid.

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत
चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं मंजिल, टॉवर-८,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली - 110029

विज्ञापन संख्या: TRAI/HR/DR/TO-2025/01 दिनांक 15.12.2025

इंजीनियरिंग स्नातकों की तकनीकी अधिकारी-2025 के रूप में भर्ती
GATE 2023/2024/2025 के माध्यम से

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) संसद के एक अधिनियम, अर्थात् ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने/सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की स्थापना की गई थी। ट्राई के प्रमुख कार्यों में टैरिफ विनियमन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की निगरानी और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्रों के विनियमन से संबंधित कार्य भी 2004 से ट्राई को सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त, ट्राई सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और भारत में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं की दक्षता, पहुँच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सिफारिशें जारी करता है।

ट्राई सीधी भर्ती के आधार पर सातवें वेतन आयोग के स्तर दस (10) में केंद्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) सहित तकनीकी अधिकारियों (टीओ-2025) के छह पदों को भरने के लिए प्रतिभाशाली, युवा, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग स्नातकों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) 2023/2024/2025 में प्राप्त वैध अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा।

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ

(तालिका-I)

आयोजन	तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	15.12.2025
ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तिथि	04.01.2026
दस्तावेज सत्यापन और व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि	ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर घोषित की जाएगी।



2. रिक्तियाँ और आरक्षण

(तालिका-II)

पोस्ट कोड	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण							दिव्यांगजन (PwBD)				
		कुल	सामान्य (UR)	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (OBC - NCL)	दिव्यांगजन (PwBD)					
		A	B	C	D & E	कुल							
1	तकनीकी अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)	04	02	0	0	01	01	01					01 [#]
2	तकनीकी अधिकारी (कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी)	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीकी अधिकारी (डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

बैचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD/ दिव्यांगजन) अन्यर्थियों के लिए क्षेत्रिज आरक्षण होगा। पदों को आरक्षण हेतु पहचानी गई विकलांगताओं की श्रेणियों के बीच परस्पर बदला जा सकता है।

रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और TRAI के विवेकाधिकार पर बढ़ या घट सकती है।

संक्षिप्त रूप: UR = अनारक्षित; EWS = आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग; OBC (NCL) = अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर); SC = अनुसूचित जाति; ST = अनुसूचित जनजाति; PwBD = बैचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति।

बैचमार्क विकलांगता श्रेणी (A), (B), (C), (D) एवं (E): कृपया नीचे पैरा-3 में बैचमार्क विकलांगता की उपयुक्त श्रेणियों का संदर्भ लें।

3. बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद की पहचान बेंचमार्क विकलांगता और कार्यात्मक आवश्यकताओं की उपयुक्त श्रेणियों के साथ की गई है:

(तालिका-III)

पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकताएँ	उपयुक्त बेंचमार्क विकलांगताओं की श्रेणियाँ				
		A	B	C	D	E
तकनीकी अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण)	S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C	LV	D, HH	OA, BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV	SLD, MI	MD (A से D तक सम्मिलित)

नोट:

- (i) पद के लिए उपयुक्त पहचानी गई विकलांगताओं की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित की जाएगी।
- (ii) दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों की पहचान किए गए पद पर नियुक्ति से पहले प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित संबंधित कार्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्तता के लिए भी मूल्यांकन किया जाएगा।
- (iii) विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत पात्रता उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का अर्थ:

कार्यात्मक आवश्यकताएँ: S = बैठना (Sitting), ST = खड़ा होना (Standing), RW = पढ़ना और लिखना (Reading & Writing), C = संवाद करना (Communication), W = चलना (Walking), SE = देखना (Seeing), MF = उँगलियों से काम करना (Manipulation with Fingers), BN = झुकना (Bending), H = सुनना (Hearing),

विकलांगता श्रेणियाँ: LV = कम दृष्टि (Low Vision), D = बधिर (Deaf), HH = कम सुनने वाले (Hard of Hearing), OA = एक हाथ से अशक्त (One Arm), BA = दोनों हाथ से अशक्त (Both Arms), OL = एक पैर से अशक्त (One Leg), BL = दोनों पैर से अशक्त (Both Legs), CP = मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy), LC = कुष्ठ रोग से मुक्त (Leprosy Cured), Dw = बौनापन (Dwarfism), AAV = एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims), SLD = विशिष्ट अधिगम विकलांगता (Specific

Learning Disability), MI = मानसिक रोग (Mental Illness), MD = बहुविकलांगता (Multiple Disabilities)

4. पात्रता मापदंड

4.1 राष्ट्रीयता: केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

4.2 गेट (GATE) 2023 / 2024 / 2025 में वैध स्कोर

उम्मीदवार को नीचे दी गई तालिका में दर्शाए अनुसार गेट (GATE) - 2023 / 2024 / 2025 के संबंधित पेपर में उपस्थित होना चाहिए और उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता अंक गेट (GATE) - 2023 / 2024 / 2025 के आयोजन निकाय द्वारा घोषित अंकों के अनुसार होंगे।

(तालिका-IV)

पद कोड	पद का नाम	गेट (GATE) परीक्षण पेपर / गेट (GATE) पेपर कोड	संबंधित गेट (GATE) वर्ष
1	तकनीकी अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी / [पेपर कोड- EC]	2023 या 2024 या 2025
2	तकनीकी अधिकारी (कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी)	कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी / [पेपर कोड- CS]	2023 या 2024 या 2025
3	तकनीकी अधिकारी (डेटा साइंस एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / [पेपर कोड- DA]	2023 या 2024 या 2025

4.3 उच्चतम आयु सीमा

31.10.2025 को 30 वर्ष।

4.4 आवश्यक योग्यता

(तालिका-V)

पद कोड	पद का नाम	आवश्यक योग्यता	आवश्यक योग्यता डिग्री के समकक्ष स्वीकृत विषय
1	तकनीकी अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार	1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग

		<p>अभियांत्रिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (बैचलर'स) इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी डिग्री या समकक्ष</p>	<p>4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नियंत्रण इंजीनियरिंग 5. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली इंजीनियरिंग 6. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 7. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग 8. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीमैटिक्स इंजीनियरिंग 9. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 10. दूरसंचार इंजीनियरिंग 11. दूरसंचार एवं सूचना इंजीनियरिंग 12. अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 13. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत संचार इंजीनियरिंग 14. विद्युत एवं संचार इंजीनियरिंग 15. रेडियो भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 16. विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 17. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (एवियोनिक्स) 18. योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रॉनिक्स' का उल्लेख हो</p>
2	तकनीकी अधिकारी (कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी स्नातक डिग्री या समकक्ष</p>	<p>1. कंप्यूटर विज्ञान / इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी 2. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी 3. कंप्यूटर विज्ञान/ इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी 4. कंप्यूटर विज्ञान और सिस्टम इंजीनियरिंग 5. कंप्यूटर विज्ञान और स्वचालन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी 6. सूचना प्रौद्योगिकी</p>



			<p>7. कंप्यूटर विज्ञान/ प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी</p> <p>8. सूचना विज्ञान और इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी</p> <p>9. कंप्यूटर और संचार इंजीनियरिंग</p> <p>10. योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'कंप्यूटर विज्ञान' का उल्लेख हो</p>
3	तकनीकी अधिकारी (डेटा साइंस एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी स्नातक डिग्री या समकक्ष	<p>1. कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (सीएसई)</p> <p>2. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)</p> <p>3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)</p> <p>4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग (एआई-एमएल)</p> <p>5. डेटा विज्ञान (डीएस)</p> <p>6. मशीन लर्निंग (एमएल)</p> <p>7. एआई/डीएस में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग</p> <p>8. योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'डेटा विज्ञान या कृत्रिम बुद्धिमत्ता' का उल्लेख हो</p>

4.5 अन्य शर्तें

4.5.1 डिग्री या सदस्यता परीक्षा भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्गमित किसी भी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मानित घोषित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों से, जहाँ भी लागू हो, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्राप्त डिग्री पर भी विचार किया जाएगा।

4.5.2 बी.ई. / बी.टेक / बी.एससी. (इंजीनियरिंग) डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आवश्यक योग्यता इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री निर्धारित है।

4.5.3 जिन उम्मीदवारों ने 31.10.2025 को या उससे पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है, केवल उन्हीं पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा।

4.5.4 अभ्यर्थी को आवेदन के संबंधित कॉलम में प्राप्त अंकों का प्रतिशत (निकटतम दो दशमलव तक गणना करके) स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। जहां विश्वविद्यालय द्वारा अंकों का प्रतिशत नहीं दिया जाता है, लेकिन केवल सीजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई आदि या डिग्री में लेटर ग्रेड दिया जाता है, उसे इस संबंध में विश्वविद्यालय के रूपांतरण मानदंडों के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को अंकों के समतुल्य प्रतिशत को प्रमाणित करने वाला विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, यदि किसी विशेष संस्थान के पास सीजीपीए/सीपीआई को अंकों के प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए कोई रूपांतरण फॉर्मूला नहीं है, तो 6.5 सीजीपीए/सीपीआई (10 अंक के पैमाने के लिए) को तालिका-X के अनुसार 60% के बराबर माना जाएगा।

4.5.5 तालिका-V में उल्लिखित योग्यताओं को छोड़कर, निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्राई ऊपर उल्लिखित योग्यताओं से भिन्न किसी इंजीनियरिंग विषय को पात्र मानने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.5.6 विदेशी विश्वविद्यालयों से समकक्ष डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दिल्ली' से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे आवेदन पत्र के साथ जमा करना चाहिए।

4.5.7 इंजीनियरिंग में एकीकृत मास्टर डिग्री के मामले में, उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय स्नातक की डिग्री के समर्थन में एक प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अंकों का विवरण, जहाँ भी पद के लिए लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।

4.5.8 अभ्यर्थी एकाधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पद के लिए अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तथा प्रत्येक पद के लिए अलग से शुल्क जमा करते हों।

4.5.9 जहाँ इस विज्ञापन में निर्दिष्ट पद किसी श्रेणी(यों) के लिए आरक्षित नहीं हैं, वहाँ आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है बशर्ते वह अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो। ऐसे पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के समान माना जाएगा।

5. आयु सीमा में छूट:

5.1 आयु सीमा: 31.10.2025 को अधिकतम आयु 30 वर्ष। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में लागू छूट का विवरण नीचे तालिका-VI में दिया गया है।

तालिका-VI

श्रेणी	उच्चतम आयु सीमा	जन्म तिथि (या उसके बाद)
सामान्य वर्ग	30 वर्ष	01.11.1995
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) (छूट - 3 वर्ष)	33 वर्ष	01.11.1992
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (छूट - 5 वर्ष)	35 वर्ष	01.11.1990
बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (विकलांगता की डिग्री 40% और उससे अधिक) (छूट - 10 वर्ष)		
i दिव्यांगजन - सामान्य वर्ग श्रेणी	40 वर्ष	01.11.1985
ii दिव्यांगजन - अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) श्रेणी	43 वर्ष	01.11.1982
iii दिव्यांगजन- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी	45 वर्ष	01.11.1980
भूतपूर्व सैनिक और कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिनमें आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी या अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं (छूट - 5 वर्ष)	35 वर्ष	01.11.1990

5.2 ऊपरी आयु सीमा में उपरोक्त छूट केवल उन पदों के संबंध में लागू है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानक के तहत माना जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट लागू नहीं होगी। हालाँकि, दिव्यांगजनों उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट इस तथ्य के बावजूद लागू होगी कि पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो। दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए छूट और रियायतें इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होंगी।

5.3 भूतपूर्व सैनिक और कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिनमें आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी या अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की सैन्य सेवाएँ प्रदान की हैं और सेवामुक्त हुए हैं:

5.3.1 कार्यभार पूरा होने पर (जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यभार एक वर्ष के भीतर पूरा होना है) कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा किसी अन्य कारण से;

या

5.3.2 सैन्य सेवा के कारण शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण,

उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

5.4 आवेदकों की अधिकतम आयु सभी संभावित आयु छूटों सहित छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.5 केवल मैट्रिक्युलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी। जन्मतिथि में परिवर्तन के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आरक्षण एवं रियायतें

6.1 अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण/छूट/रियायत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी।

6.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यता में अंकों में छूट:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणी के लिए आवश्यक योग्यता में न्यूनतम अंकों के प्रतिशत में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। हालाँकि, शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत में उपरोक्त छूट केवल उन पदों के संबंध में लागू है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सामान्य योग्यता मानक के तहत माना जाएगा और उन्हें शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अंकों के प्रतिशत में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, स्नातक डिग्री/मास्टर डिग्री आदि में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए अंकों को अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी। उदाहरण के लिए 59.99% को 60% नहीं माना जाएगा।

6.3 आरक्षण / छूट / रियायत (संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए) निम्नलिखित के अधीन होगी:

(तालिका-VII)

(क)	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवार	<p>आवेदन और साक्षात्कार के समय, यदि बुलाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p> <p>पद के लिए आवेदन करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2025-26 (अर्थात 01.04.2025 को या उसके बाद जारी) के दौरान भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो ओबीसी की केंद्रीय सूची में ओबीसी समुदाय से संबंधित होने के समर्थन में हो और यह साबित करता हो कि वे ओबीसी के "क्रीमी लेयर" से संबंधित नहीं हैं। उम्मीदवार को अपनी नियुक्ति से पहले यह घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी कि वह ओबीसी के क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन के अंतर्गत आरक्षण लाभ के पात्र होने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (अर्थात 01.04.2025 को या उसके बाद जारी) के दौरान जारी उपरोक्त ओबीसी (एनसीएल) प्रमाणपत्र समय पर प्राप्त कर लें। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित ओबीसी (एनसीएल) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें संबंधित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति (अर्थात राज्य सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।</p>

(ग)	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (Discharge Certificate) आदि प्रस्तुत करना होगा।
(घ)	दिव्यांगजन / दिव्यांग उम्मीदवार	दिव्यांगजन / दिव्यांग दिव्यांगजनों के लिए सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले) प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन उम्मीदवारों की पहचान किए गए पद पर नियुक्ति से पहले प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित संबंधित कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्तता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

6.4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। हिंदी/अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी प्रमाण पत्रों के लिए, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उनकी अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

7. वेतन और भत्ते

7.1 ट्राई में नियुक्ति के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए वेतनमान में वेतन मिलेगा:

(तालिका-VIII)

पद	वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक मूल वेतन	महंगाई भत्ता (DA) #
तकनीकी अधिकारी (टीओ)	सातवें वेतन आयोग का स्तर-10	₹56,100/-	वेतन मैट्रिक्स में वेतन का 58% (01.07.2025 तक)

#डीए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर आधारित है।



7.2 उपरोक्त परिलब्धियों के अतिरिक्त, ट्राई में लागू मौजूदा नियमों के अनुसार निम्नलिखित भत्ते/सुविधाएं उपलब्ध हैं:

7.2.1 भत्ते:

- परिवहन भत्ता (TA)
- मकान किराया भत्ता (HRA)

7.2.2 कर्मचारी लाभ एवं विविध सुविधाएँ:

- एनपीएस (NPS) में नियोक्ता के अंशदान के रूप में (BP+DA) का 14%
- अवकाश यात्रा भत्ता (LTA)
- अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) प्राप्त करते समय 10 दिनों का अवकाश नकदीकरण
- स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा (CSMA/CGHS दरें)
- बच्चों की शिक्षा सहायता
- समाचार पत्र शुल्क की प्रतिपूर्ति
- टेलीफोन सुविधा की प्रतिपूर्ति

7.2.3 सेवानिवृत्ति लाभ/सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

- एनपीएस (NPS) के अंतर्गत पेंशन
- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण (अधिकतम 300 दिनों तक)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा
- सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान

7.3 सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में पहले से ही कार्यरत उम्मीदवारों को ट्राई में शामिल होने पर वेतन संबंधी कोई सुरक्षा स्वीकार्य नहीं होगी।

8. सेवा शर्तें:

8.1 सेवा शर्तें समय-समय पर संशोधित ट्राई के प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार लागू होंगी।

8.2 नियुक्ति के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभ में ट्राई मुख्यालय, नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

9. स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्टिंग

9.1 केवल गेट (GATE)- 2023 / गेट (GATE)- 2024 / गेट (GATE)- 2025 के वैध अंक वाले उम्मीदवार ही इस विज्ञापन के अंतर्गत ट्राई (TRAI) में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। GATE 2022 या पिछली GATE परीक्षाओं के अंक स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

9.2 गेट (GATE)- 2023, गेट (GATE)- 2024 और गेट (GATE)- 2025 के अंकों को समान महत्व दिया जाएगा।

9.3 तकनीकी अधिकारी (TO-2025) के पदों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग गेट (GATE)- 2023 / गेट (GATE)- 2024 / गेट (GATE)- 2025 के वैध अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में की जाएगी। यदि समान कट-ऑफ अंक वाले एक से अधिक उम्मीदवार हैं (साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करते समय), तो समान अंक वाले सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

9.4 योग्य उम्मीदवारों को गेट स्कोर के आधार पर **1:8** के अनुपात में साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि विषयवार श्रेणीवार मेरिट सूची में उनकी उपलब्धता हो।

9.5 'बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति' (दिव्यांगजन) को **1:8** अनुपात लागू करके अलग से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

9.6 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

10. गेट स्कोर का सत्यापन:

10.1 साक्षात्कार के दिन, उम्मीदवारों को अपने गेट (GATE) परिणाम स्क्रीन पर दिखाने के लिए, अपने गेट (GATE) लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके गेट (GATE) परिणाम पोर्टल पर स्वयं लॉग इन करके अपने गेट (GATE) स्कोर को सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

10.2 इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने गेट (GATE) लॉगिन क्रेडेंशियल (नामांकन संख्या, पंजीकरण आईडी, गेट लॉगिन पासवर्ड) तैयार रखें ताकि उनके गेट (GATE) परिणामों को सत्यापित करने में कोई कठिनाई न हो।

10.3 सत्यापन के बाद, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार का गेट स्कोर (उसके द्वारा भरा गया) गलत है, तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



ऐसे मामलों में, ट्राई (TRAI) उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कार्यवाही (भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 के तहत कार्यवाही सहित) शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. चयन प्रक्रिया:

11.1 केवल वे उम्मीदवार जो सभी प्रकार से योग्य हैं और जिन्होंने गेट (GATE)- 2023 या गेट (GATE)- 2024 या गेट (GATE)- 2025 में संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की है और ट्राई (TRAI) के पोर्टल पर अपने आवेदन पंजीकृत किए हैं, उन्हें ट्राई (TRAI) में आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा।

11.2 उम्मीदवारों को उनके गेट स्कोर के आधार पर, विषयवार श्रेणीवार मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

11.3 व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की आवेदन संदर्भ संख्या केवल ट्राई (TRAI) की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर पोस्ट की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के कॉल लेटर उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएँगे। उम्मीदवारों को अपने कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से TRAI की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर जाकर लिंक देखना होगा और अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर) की जाँच करनी होगी।

11.4 साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को पहचान प्रमाण के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट जमा करना होगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है या वह आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ है या दस्तावेज़ों में जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

11.5 यदि कोई उम्मीदवार मूल दस्तावेज़ों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो वह अनंतिम चयन के लिए पात्र नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

11.6 दस्तावेज़ सत्यापन पूरा होने पर, पात्र पाए गए उम्मीदवारों को उनके वैध GATE स्कोर के आधार पर, पद के लिए निर्धारित अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, योग्यता क्रम में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

11.7 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन पूर्णतः विषयवार, श्रेणीवार, गेट स्कोर के अंकों के 80% वेटेज तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के अंकों के 20% वेटेज के कुल योग के आधार पर होगा।

(तालिका-IX)

पैरामीटर	अंकों का वेटेज (%)
गेट (GATE) -2025 / गेट (GATE) -2024 / गेट (GATE) -2023 स्कोर	80
व्यक्तिगत साक्षात्कार	20

11.8 टाई (TIE) मामलों का समाधान:

दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच कुल अंकों (गेट स्कोर वेटेज अंक + व्यक्तिगत साक्षात्कार अंक) में बराबरी की स्थिति में, मेरिट सूची में स्थान तय करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे:

11.8.1 संबंधित गेट (GATE) परीक्षा, अर्थात् गेट (GATE) 2023, गेट (GATE) 2024 या गेट (GATE) 2025 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी।

11.8.2 जहाँ गेट (GATE) स्कोर के अंक बराबर हों, वहाँ अधिक आयु के अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा।

11.8.3 जहाँ गेट (GATE) स्कोर और जन्मतिथि दोनों बराबर हों, वहाँ योग्यता डिग्री में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा।

11.9 दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार के अंकों और गेट स्कोर के आधार पर एक अलग योग्यता/मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेणी में चयन योग्यता क्रम के अनुसार किया जाएगा।

11.10 अनारक्षित श्रेणी पर लागू मानदंडों के आधार पर चयनित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के समान माना जाएगा। आरक्षित श्रेणियों के ऐसे स्व-योग्य उम्मीदवार, जिनका अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अनंतिम रूप से चयन किया गया है, उन्हें आरक्षित रिक्ति में समायोजित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, ऑनलाइन पंजीकरण में दर्ज उनकी मूल श्रेणी अपरिवर्तित रहेगी।

11.11 उम्मीदवारों का चयन अनंतिम होगा, जो पात्रता मानदंड, चरित्र और पूर्ववृत्त/पृष्ठभूमि जांच, जाति प्रमाण पत्र/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र/अनुसूचित जाति प्रमाण

पत्र / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र और उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सत्यापन के अधीन होगा और यह पद के लिए अपेक्षित चिकित्सा मानकों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन भी होगा, जैसा कि ट्राई के नियमों के तहत नियुक्तियों के लिए लागू है।

11.12 नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, चयनित उम्मीदवारों को ट्राई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईमेल द्वारा अपनी स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी।

11.13 ऊपर वर्णित चयन प्रक्रिया अस्थायी है और ट्राई की प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।

11.14 केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से कार्यरत उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय वर्तमान नियोक्ता से मूल रूप में "अनापति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन होने पर त्यागपत्र देने का वचन, अनापति प्रमाण पत्र/त्यागपत्र के लिए आवेदन की पावती प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे अन्य दस्तावेजों पर अनापति प्रमाण पत्र के स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.15 कार्यभार ग्रहण करने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को ट्राई द्वारा निर्धारित उचित अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना, कार्यों, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकियों आदि और नियामक ढांचे से परिचित कराया जा सके।

11.16 नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और उनकी स्थायी नियुक्ति केवल तभी की जाएगी जब उन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और प्राधिकरण द्वारा उनकी सेवाओं और आचरण को संतोषजनक पाया गया हो।

12. साक्षात्कार कार्यक्रम एवं स्थान:

12.1 व्यक्तिगत साक्षात्कार का स्थान केवल ट्राई मुख्यालय, नई दिल्ली होगा।

12.2 हालाँकि, ट्राई साक्षात्कार की तिथि और स्थान को अपनी इच्छानुसार आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसकी सूचना चयनित उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से विधिवत दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया

जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र चयनित उम्मीदवारों को डाउनलोड करने हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

12.3 ट्राई मुख्यालय, नई दिल्ली में व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भता (टीए) का भुगतान किया जाएगा (विवरण के लिए, कृपया पैरा 14 देखें)।

12.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प होगा।

13. साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन:

साक्षात्कार के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

13.1 जन्मतिथि प्रमाणः

13.1.1 जन्मतिथि दर्शाने वाला मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र।

13.2 योग्यता:

13.2.1 परिणाम घोषणा की तिथि दर्शाने वाली अंकतालिकाएँ।

13.2.2 अंतिम उपाधि प्रमाणपत्र।

13.2.3 अनंतिम उत्तीर्णता प्रमाणपत्र (यदि अंतिम उपाधि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है)

13.2.4 जिन आवेदकों को सीजीपीए/जीपीए/एसजीपीए या लेटर ग्रेड प्राप्त हुए हैं, उन्हें उस संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय की रूपांतरण तालिका का पालन करना होगा जहाँ से उन्होंने उत्तीर्णता प्राप्त की है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए आवेदकों को संस्थान / कॉलेज / विश्वविद्यालय से प्रमाणित रूपांतरण तालिका प्रस्तुत करनी होगी। सीजीपीए ग्रेडिंग के रूपांतरण के संबंध में; यदि संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा यह उपलब्ध नहीं कराया गया है और सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने का सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा:-

(तालिका-X)



अर्हता परीक्षा में अंकों का प्रतिशत	10 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	9 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	8 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	7 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	6 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	5 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई	4 अंकों के पैमाने पर समतुल्य सीजीपीए / सीपीआई
55%	5.9	4.9	4.4	3.8	3.3	2.7	2.0
60%	6.5	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	2.2
65%	7.0	6.0	5.3	4.6	4.0	3.3	2.5

13.2.5 गेट (GATE)-2023 / गेट (GATE)-2024 / गेट (GATE)-2025 एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड।

13.3 केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त संस्थानों/स्वायत निकायों में कार्यरत आवेदकों को संगठन से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" लाना होगा।

13.4 आवेदकों को नाम परिवर्तन के संबंध में, यदि लागू हो, राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।

13.5 भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

13.6 जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र:

13.6.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13.6.2 ऑनलाइन आवेदन भरते समय ओबीसी आवेदकों को अपनी स्थिति "क्रीमी लेयर" या "नॉन क्रीमी लेयर" के रूप में दर्शानी होगी। जो आवेदक "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, वे ओबीसी श्रेणी (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए स्वीकार्य किसी भी छूट और रियायत के हकदार नहीं हैं। ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) आवेदकों को 01/04/2025 को या उसके बाद जारी सक्षम प्राधिकारी से भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ऐसी जातियों/समुदायों की

सूची अधिसूचित की है जिन्हें "अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)" (जिसे केंद्रीय ओबीसी सूची भी कहा जाता है) के रूप में माना जाता है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। केवल ऐसे अधिसूचित समुदायों/जातियों (केंद्रीय सूची) और "नॉन-क्रीमी लेयर" से संबंधित उम्मीदवारों को ओबीसी (एनसीएल) पर लागू छूट और रियायतों के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

13.6.3 दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13.6.4 यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है, तो उम्मीदवारों को नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी अंग्रेजी या हिंदी में अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

13.7 साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले चयनित आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपने साथ लाने चाहिए:

13.7.1 साक्षात्कार में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/वोटर आईडी/कॉलेज आईडी/सरकारी जारी पहचान पत्र का फोटो पहचान पत्र।

13.7.2 साक्षात्कार कॉल लेटर का एक स्पष्ट प्रिंटआउट, जिस पर उम्मीदवार का फोटो हो।

13.7.3 पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक स्पष्ट प्रिंटआउट।

13.7.4 शैक्षिक योग्यता (डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों), अनुभव (यदि कोई हो), जाति / श्रेणी, जन्म तिथि का प्रमाण आदि के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों वाला एक सेट।

13.7.5 उपर्युक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ।

14. साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता (टीए):

साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले बाहरी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दिए गए पत्राचार पते के निकटतम रेलवे स्टेशन से सबसे छोटे मार्ग से तृतीय श्रेणी एसी ट्रेन [सामान्य ट्रेन का एसी-III] टियर ट्रेन किराया (आरक्षण और सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुल्क सहित] द्वारा आने-जाने का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। हालाँकि, खानपान शुल्क, गतिशील किराया, एजेंट शुल्क, यात्रा

पुष्टिकरण शुल्क और यात्रा प्रीमियम लागू नहीं होंगे] या उनके द्वारा वहन किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो, मूल यात्रा टिकट और बोर्डिंग पास (यदि लागू हो) का कम से कम एक पृष्ठ प्रस्तुत करने पर देय होगा। यात्रा के किसी अन्य तरीके के लिए (जहाँ किसी उम्मीदवार ने हकदार किराए से अधिक खर्च किया है, अर्थात् ऊपर बताए गए किराए से अधिक), मूल यात्रा टिकट और बोर्डिंग पास (यदि लागू हो) का कम से कम एक पृष्ठ प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति हकदार किराए तक ही सीमित होगी। यात्रा भर्ते की प्रतिपूर्ति की राशि उम्मीदवारों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर दी जाएगी। तदनुसार, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अव्यर्थियों को अपना बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।

15. प्रतीक्षा सूची पैनल की तैयारी और संचालन:

15.1 प्रतीक्षा सूची पैनल, भर्ती प्रक्रिया के तहत रिकितयों की संख्या के तीन गुना तक सीमित होगी।

15.2 प्रतीक्षा सूची, योग्यता के क्रम में, विषयवार और श्रेणीवार संचालित की जाएगी। दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

15.3 प्रतीक्षा सूची पैनल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से अधिकतम बारह (12) माह की अवधि के लिए या उसी पद के लिए अगली भर्ती अधिसूचना जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

16. आवेदन कैसे करें:

16.1 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले रिकित परिपत्र में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गलत/झूठी जानकारी देने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ट्राई ऐसी गलत/झूठी जानकारी देने के किसी भी परिणाम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। अमान्य जानकारी/अधूरा आवेदन/बिना आवेदन शुल्क के आवेदन करने की स्थिति में, आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.2 पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास इस विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार पात्रता संबंधी दस्तावेज हैं।

16.3 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, जैसे जन्म तिथि, श्रेणी, उप-श्रेणी [एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) / पीडब्ल्यूबीडी], लिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि की अंतिम रूप

से जांच कर ले, क्योंकि इसमें कोई सुधार संभव नहीं होगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.4 उम्मीदवारों को www.trai.gov.in पर “करियर” टैब के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन जमा करने का कोई अन्य साधन/विधि स्वीकार नहीं की जाएगी। [Link: <https://vacancies.trai.gov.in>]

16.5 आवेदन करने के चरण:

16.5.1 चरण 1: एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करें। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, इन विवरणों को बदला नहीं जा सकता है। उम्मीदवारों के साथ संचार उनके पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर किया जाएगा।

16.5.2 चरण 2: आवेदन पत्र में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (03 महीने से अधिक पुराने नहीं) और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। दस्तावेज़ सत्यापन के समय उपयोग के लिए उसी फोटोग्राफ की तीन प्रतियां रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें।

16.5.3 चरण 3: लॉग इन करें और पात्रता मानदंड से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/विवरणों जैसे शैक्षिक योग्यता, गेट स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (एसटी/एससी/ओबीसी/एनसीएल) / विकलांगता प्रमाण पत्र आदि, के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें।

16.5.4 चरण 4: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, या यूपीआई (यदि लागू हो) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

16.5.5 चरण 5: आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक मुद्रित प्रति रखें।

नोट: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित सभी पत्राचार पंजीकृत ईमेल आईडी/ट्राई वेबसाइट पर ही किए जाएँगे, जिसमें शॉर्टलिस्ट होने पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कॉल लेटर और चयनित होने पर ऑफर लेटर डाउनलोड करने की सूचना भी शामिल है।

16.6 ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले, उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज/जानकारी अपने पास रखनी चाहिए: -

16.6.1 पात्रता मानदंड से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज / विवरण जैसे शैक्षिक योग्यता, गेट स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (एसटी / एससी / ओबीसी (एनसीएल) / विकलांगता प्रमाण पत्र आदि।

16.6.2 आवेदन में अपलोड करने के लिए नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ (3 महीने से अधिक पुराने नहीं) और स्कैन किए गए हस्ताक्षर (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार) की स्कैन की गई प्रति।

16.6.3 ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए विवरण/दस्तावेज।

16.6.4 पात्रता मानदंड से संबंधित कोई अन्य आवश्यक विवरण/दस्तावेज।

16.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज अनुसार ही दर्ज करनी चाहिए। नाम में बाद में परिवर्तन होने पर, उम्मीदवारों को अपना परिवर्तित नाम केवल ऑनलाइन आवेदन में ही दर्शाना चाहिए। हालाँकि, अन्य विवरण मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज़, जो भी लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।

16.8 उम्मीदवार को संबंधित वर्ष (2023 / 2024 / 2025) के लिए गेट (GATE) प्रवेश पत्र में दिखाई देने वाली अपनी सही गेट (GATE) पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा।

16.9 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट/वेबसाइट जाम / डिस्कनेक्शन की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। उपरोक्त कारणों से या ट्राई के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो ट्राई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

16.10 अभ्यर्थियों को डाक या ईमेल के माध्यम से कोई भी दस्तावेज या अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

16.11 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी समाचार पत्र/वेबसाइट/मोबाइल ऐप आदि में आने वाले बेर्डमानी भरे विज्ञापनों का जवाब न दें। किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता के लिए, अभ्यर्थी केवल ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।

17. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने के निर्देश:

अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करते समय नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

17.1 फोटोग्राफ की तस्वीरः

- कृपया सफेद पृष्ठभूमि वाली एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करें (जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी न हो) ।
- टोपी / हैट / काले चश्मे वाली तस्वीर स्वीकार्य नहीं होगी। धार्मिक टोपी की अनुमति है, लेकिन उससे चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- तस्वीर .jpg या .jpeg प्रारूप में होनी चाहिए।
- तस्वीर के आकार और माप के लिए, कृपया आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

17.2 हस्ताक्षर की तस्वीरः

- आवेदक को सफेद कागज पर काली या नीली स्याही वाली कलम से हस्ताक्षर करने होंगे।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं।
- कृपया केवल हस्ताक्षर वाले हिस्से को स्कैन करें, पूरे पृष्ठ को नहीं।
- कृपया अपना हाल ही का हस्ताक्षर .jpg या .jpeg प्रारूप में अपलोड करें।
- छवि के आकार और माप के लिए, कृपया आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

18. आवेदन शुल्क का भुगतान (यदि शुल्क लागू हो):

18.1 सामान्य / ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को, लागू बैंक शुल्क के साथ, आवेदन शुल्क के रूप में 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) का गैर-वापसी योग्य भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल 15.12.2025 से 04.01.2026 (23:00 बजे तक) के बीच किसी भी दिन किया जा सकता है।

18.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

18.3 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट-बैंकिंग / यूपीआई आदि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

18.4 अपना भुगतान शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना मिलने तक प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ। लेन-देन पूरा होने पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले भुगतान की स्थिति की जाँच कर लें। भुगतान विफल होने की स्थिति में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन को अस्वीकार होने से बचाने के लिए भुगतान प्रक्रिया दोहराएँ।

18.5 आवेदन शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने पर, 'आवेदन पत्र' जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र देख / प्रिंट कर सकते हैं।

18.6 भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। कम राशि का शुल्क जमा करने वाले या निर्धारित विधि के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क जमा करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि कर लें।

18.7 उम्मीदवार "आवेदक लॉगिन" लिंक <https://vacancies.trai.gov.in> के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

18.8 उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड नोट कर लें, क्योंकि वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। उम्मीदवार को आवेदन संख्या के साथ एक ईमेल भी भेजा जाएगा।

19. कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई:

19.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सही जानकारी प्रस्तुत करें और "ऑनलाइन" आवेदन भरते समय कोई भी ऐसा दस्तावेज़/सूचना न दें जो झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ, मनगढ़त हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ।

19.2 भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कदाचार का दोषी पाया जाता है, जैसे:

19.2.1 अनुचित साधनों का प्रयोग करना या अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना; या

19.2.2 किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करना या किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण करवाना; या

19.2.3 चयन प्रक्रिया के दौरान अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित तरीके का सहारा लेना; या

19.2.4 किसी भी रूप में प्रचार करना/किसी भी माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना; या

19.2.5 किसी भी चरण में झूठे प्रमाणपत्र/दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करना या तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना / दबाना;

19.2.6 पद के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद अपनी श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में गलत जानकारी देने पर;

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसकी उम्मीदवारी को तुरंत अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा/सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा (यदि पहले से नियुक्त हैं), इसके अलावा कोई अन्य कार्रवाई शुरू करने या उचित समझे जाने पर कानूनी सहारा लिया जाएगा।

20. सामान्य निर्देश:

20.1 आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रताओं और अन्य मानदंडों को पूरा करता/करती है।

20.2 इस भर्ती से संबंधित सभी पत्राचार पंजीकृत ईमेल आईडी पर किए जाएँगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ट्राई से प्राप्त किसी भी सूचना के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल/ट्राई की वेबसाइट देखते रहें।

20.3 किसी भी स्तर पर सूचना प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए अस्थायी पत्राचार पते को स्थायी पते के रूप में उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए।

20.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरण अंतिम माने जाएँगे और जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

20.5 कृपया ध्यान दें कि फर्जी/छद्म नाम/ईमेल आईडी के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करना सख्त वर्जित है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

20.6 पात्रता मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद पर चयन का तरीका आदि के संबंध में ट्राई प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। न्यूनतम योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

20.7 अयोग्य पाए गए और दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाए गए या चयन न किए गए उम्मीदवारों से कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20.8 ट्राई केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार के वेतन/छुट्टी वेतन/पेंशन अंशदान आदि, यदि कोई हो, के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

20.9 केवल ट्राई वेबसाइट पर सूचना:

20.9.1 अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार ई-मेल के माध्यम से ही किया जाएगा और भर्ती विज्ञापन में की गई सभी सामान्य जानकारी/बाद में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, केवल ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in के माध्यम से ही प्रदान किए जाएँगे। दस्तावेज सत्यापन/नियुक्ति प्रस्ताव/किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल लेटर प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ईमेल आईडी के कारण भेजे गए ईमेल के खो जाने या

अभ्यर्थी द्वारा समय पर अपना मेल/वेबसाइट न देख पाने की स्थिति में देरी/सूचना प्राप्त न होने के लिए ट्राई ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल खाते (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर)/ट्राई वेबसाइट देखते रहें।

20.9.2 यदि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है या उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है या इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो ऐसे पंजीकृत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती/ज्वाइनिंग के बाद भी अस्वीकार की जा सकती है। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

20.10 किसी भी विवाद के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा।

20.11 पात्रता संबंधी सलाह मांगने वाले किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।


20.12 इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में ट्राई का निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

20.13 यदि आवश्यकता पड़े, तो ट्राई बिना कोई और सूचना दिए या कोई कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ट्राई प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

20.14 चयनित उम्मीदवारों को छोड़कर, परिणामों के संबंध में कोई अलग से सूचना जारी नहीं की जाएगी।

21. महत्वपूर्ण संपर्क विवरण:

इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया 011-26769631 पर संपर्क करें या sro-hr@trai.gov.in पर ईमेल करें।



वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (मानव संसाधन)

ट्राई मुख्यालय, नई दिल्ली

दूरभाष संख्या- 011-26769631

विज्ञापन में किसी भी विवाद की स्थिति में, ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य माना जाएगा।